

प्रेस विज्ञापित

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री सुधीर कुमार सिंह

द्वारा चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत वांछित/मादक पदार्थ/दहेज उत्पीड़न आदि से सम्बन्धित अभियुक्तों को गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया। जिनका विवरण निम्नवत है-

थाना-फूलपुर

22 पुडिया स्मैक (नशीला पदार्थ) के साथ एक नफर अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 18/9/2020 को थाना प्रभारी अयोध्या तिवारी मय हमराहियान के देखभाल क्षेत्र रोकथाम जुर्म जरायम में मशरूफ होकर अपराध एवं अपराधियों के विषय में बातचीत कर ही रहे थे कि मुखविर ने आकर सूचना दिया कि एक व्यक्ति नशीला पदार्थ स्मैक बेचने हेतु कहीं जाने के फिराक में रेलवे परिसर फूलपुर में मौजूद है यदि शीघ्रता किया जाय तो पकड़ा जा सकता है। इस सूचना पर विश्वास करके थाना प्रभारी मय फोर्स द्वारा रेलवे गेट के पास रेलवे परिसर मो0वाकिब S/O कयुम R/O इसरौली PS सरायमीर आजमगढ़ को पकड़ा गया तथा भागने का कारण पूछने पर बताया कि साहब मेरे पास नशीला पदार्थ स्मैक है जिसके कारण आपको देखकर भाग रहा था। 50 CrPc का पालन करते हुए अभियुक्त से उसकी जामा तलाशी किसी राजपत्रित अधिकारी /मजिस्ट्रेट के समक्ष चलकर देने हेतु पुछा गया तो बताया कि साहब अब पकड़ ही गया हूँ आप ही मेरी जामा तलाशी ले ले मैं और कहीं जाकर जामा तलाशी नहीं देना चाहता। इस पर अभि0 का सहमति पत्र तैयार करते हुए उसकी जामा तलाशी ली गई तो उसके पहने हुए पैन्ट की बायी फेट से एक सफेद पालीथीन में कुल 22 पुडिया नशीला पदार्थ /स्मैक बरामद हुआ जिसके सम्बन्ध में लाइसेन्स तलब किया गया तो दिखाने से कासिर रहा तथा अपनी गलती की माँफी माँगते हुए बताया कि साहब अपनी जिविका चलाने हेतु यह कारोबार करता हूँ। अभियुक्त का यह कार्य अंतर्गत धारा 8/22 NDPS Act का दण्डनीय अपराध पाकर समय 18.20 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। इलेक्ट्रॉनिक बैलेन्स कस्बा फूलपुर से ही मंगाकर वजन किया गया तो एक पुडिया में 10 मिलीग्राम यानि कुल 22 पुडिया में 220 मिलीग्राम स्मैक बरामद हुआ

पूछताछ का विवरण- अभियुक्त अपने द्वारा कारित किये गये जुर्म को स्वीकार कर रहा है, व बार-2 माफी मांग रहा है।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 231/20 धारा 8/22 स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधि0 1985 थाना फूलपुर, आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त- मो0वाकिब S/O कयुम R/O इसरौली PS सरायमीर आजमगढ़

बरामदगी- 22 पुडिया स्मैक (नशीला पदार्थ) कुल वजन 220 मिलीग्राम स्मैक

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. अयोध्या तिवारी प्रभारी थाना फूलपुर मय हमराह, आजमगढ़
2. व0उ0नि0 सुशील कुमार दुबे थाना फूलपुर मय हमराह, आजमगढ़

थाना-कसानगंज

01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

आज दिनांक 19.09.2020 को तलाश वांछित अपराधी व वारण्टी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में व0उ0नि0 कृष्णानन्द प्रसाद मय हमराहियान के द्वारा थाने पर पंजीकृत मु0अ0सं0 153/2020 धारा 354/452 भा0द0वि0में नामजद अभियुक्त परवेज आलम पुत्र गुलशेर आलम ग्राम टहर किशुनदेवपुर थाना कसानगंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 26 वर्षको उसके घर से गिरफ्तार कर मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु रवाना किया गया।

थाना-तहबरपुर

विवाहिता ने की आत्महत्या व दहेज उत्पीड़न करने वाला अभियुक्त हुआ गिरफ्तार

दिनांक 16-11-18 को नागेन्द्र प्रसाद यादव s/o स्व0 श्री रामदेव यादव ग्राम तरौधी, पोस्ट टीकापुर थाना तहबरपुर- आजमगढ़ प्रार्थना पत्र दाखिल किये कि मेरी पुत्री रेखा यादव को उसके पति मनीष यादव पुत्र हरिनाथ यादव व ससुर हरिनाथ यादव पुत्र दलसिंगार यादव ग्राम बेलऊ थाना गंभीरपुर, आजमगढ़ द्वारा फोन पर दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था जिस कारण परेशान होकर आवेदक की पुत्री रेखा यादव आत्महत्या कर ली। उक्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0- 138/18 धारा 498ए,304बी भादवि व 3 / 4 डीपी एक्ट पंजीकृत हुआ। विवेचना श्रीमान् क्षेत्राधिकारी बुढनपूर महोदय द्वारा सम्पादित करते हुए अभियुक्त मनीष यादव उपरोक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

आज दिनांक 19/9/20 को प्र0नि0 देवानन्द मय हमराह हे0का0 भोलानाथ सिंह, का0 अखिलेश यादव, का0 अमित कुमार मय जीप सरकारी यूपी 50 एजी 0376 के रवाना होकर अभियुक्त हरिनाथ यादव पुत्र दलसिंगार यादव उर्फ जौहर ग्राम बेलऊ थाना गंभीरपुर, आजमगढ़ की गिरफ्तारी हेतु उसके घर दबिश दी गयी। अभियुक्त हरिनाथ यादव उपरोक्त घर पर मौजूद मिला। जिसका नाम पता तस्दीक कर कारण गिरफ्तारी बताते हुए गिरफ्तारी व बरामदगी के संदर्भ में मा0 सर्वोच्च न्यायालय एवं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए, वाजाता वकायदा समय करीब 7.20 बजे गिरफ्तार किया गया। अग्रिम कार्यवाही के बाद मा0 न्यायालय भेजा गया।

पंजीकृत अभियोग का विवरण-मु0अ0सं0- 138/18 धारा 498ए,304बी भादवि व 3 / 4 डीपी एक्ट थाना तहबरपुर आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त-1.हरिनाथ यादव पुत्र दलसिंगार यादव उर्फ जौहर ग्राम बेलऊ थाना गंभीरपुर, आजमगढ़ उम्र करीब 58 वर्ष

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम-

- 1.प्र0नि0 देवानन्द मय हमराह थाना-तहबरपुर, आजमगढ़।